प्रकरण संख्या 65/2022 भरत बनाम श्रीमती भूरीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घासा, तहसील घासा में आराजी नंबर 4853 रकबा 0.2185 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया का 1/10 हिस्सा दर्ज है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। वादीया अपने 1/10 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 31.12.2021 को वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 16.08.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री मनन शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को विधिवत सूचना पत्र जारी कर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना तामिली की विधिवत तामिल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested

कराये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं थी। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारान की सहमति के आधार पर डिक्री जारी की गयी है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2021 को प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.12.2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादीया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि विधि अनुसार राजस्व कैम्प में प्रकरण पक्षकारों की सहमति से निर्णित किये जाते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मात्र 9 प्रतिवादियों के हस्ताक्षर हैं, जबकि प्रकरण में कुल 23 प्रतिवादीगण हैं। जहां तक तामीलों का संबंध में प्रत्येक सम्मन के पीछे लिखा है कि प्रतिवादी वहां न रहकर ससुराल में रहती है, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में तामीली प्रक्रिया पूर्व नहीं हुई है तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर पर्याप्त नहीं मिला है। सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार पक्षकारों की सम्मन तामील आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में बिना सभी पक्षकारों की उपस्थिति में जो डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 218/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगणों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested